



केन्द्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक: 764 / शेकार्या / छपरसंग / दुर्ग / 2009
प्रति,

दिनांक 7/5/09

प्रबंध निदेशक,
भिलाई इस्पात संयंत्र,
भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।

विषय:- उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में ।
संदर्भ :- उद्योग का निरीक्षण दि. 05 एवं 06.05.09 ।

—0—

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 05 एवं 06.05.09 को उद्योग का निरीक्षण आपके अधिकारियों श्री एच.आर. मूर्ति, श्री गांगुली, डी.जी.एम., पर्यावरण प्रबंधन विभाग की उपस्थिति में किया गया। प्रदूषण की स्थिति निम्नानुसार पाई गई :-

1. पावर प्लांट :- निरीक्षण के दौरान श्री भदौरिया, डी.जी.एम. भी उपस्थित थे। पावर प्लांट से दिनांक 05.05.09 को अत्यधिक उत्सर्जन देखा गया। इसी तरह दिनांक 06.05.09 को भी उत्सर्जन पाया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को वस्तुस्थिति का अवलोकन कराने पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा इकाई से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पा लिया गया। पूर्व में भी कई बार ऐसी स्थिति पाई गई, स्पष्ट है कि उद्योग प्रबंधन स्वमेव प्रदूषण नियंत्रण के लिये तत्पर नहीं रहता। पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण करने या दूरभाष से सूचना दिये जाने के बाद प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जाती है जो उचित प्रतीत नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि उद्योग प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सचेत नहीं है, जिससे प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है।
2. कोक ओवन्स :- निरीक्षण के दौरान श्री जी.सी.ताराम, डी.जी.एम. एवं श्री राय चौधरी ए.जी.एम. भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोक ओवन्स बैटरी क्रमांक-1, 2, 7, 8 एवं 9 के डोर्स से अत्यधिक लीकेज पाया गया, जिससे भारी मात्रा में फ्युजिटिव उत्सर्जन अवलोकित किया गया। इसी तरह संबंधित बैटरियों की छिन्नियों से काला धुआ उत्सर्जित होता हुआ देखा गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में सार्थक कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई। मात्र यह बताया गया कि कार्यवाही की जायेगी।
3. सिन्टिरिंग प्लांट 2 :- निरीक्षण के दौरान श्री एच.के. जोशी, डी.जी.एम. भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान सिन्टिरिंग प्लांट की छिन्नियों से लाल धुएँ के उत्सर्जन के साथ डक्ट से लीकेज एवं कई स्थानों पर फ्युजिटिव उत्सर्जन पाया गया। पूर्व में भी कई बार संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया गया था लेकिन अभी तक प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही है।

4. मार्गों से फ्युजिटिव उत्सर्जन:- कोक ओवन बैटरी , कोक ओवन वाय-प्रोडक्ट, सिन्टिरिंग प्लांट 2 के आंतरिक सड़कों में काफी मात्रा में डस्ट का जमाव पाया गया । परिवहन के दौरान इससे फ्युजिटिव उत्सर्जन होता है । इन मार्गों से डस्ट नहीं हटाया जाता और न ही जल छिड़काव किया जाता है . जिससे प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है ।

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित स्थिति हेतु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें । यह भी ध्यान दिया जावे कि उद्योग से प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो ।

पृ.क्रमांक: 265 /क्षेकार्या./छपरसंग./दुर्ग/2009

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर की ओर सूचनाार्थ प्रस्तुत ।

(डॉ० सी०बी० पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक 7/12/09

(डॉ० सी०बी० पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई